Reliance
Industries Limited
Growth is Life

पंजीकृत कार्यालय: ३री मंजिल, मेकर चेम्बर्स ४, २२२, नरीमन पाइंट, मुंबई – ४०० ०२१
फ़ोन: +९१–२२–३५५५ ५००० • फ़ैक्स: +९१–२२–३५५५ ५१११ • इ–मेल: investor_relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

विषय: कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों (''नियम'') के अनुसार प्रकाशित की जा रही है.

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है.

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी वित्त वर्ष २०१७–१८ के दौरान, ऐसे सभी शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर चुकी है, जिनके लाभांश का, ३१ अक्टूबर, २०१७ की अंतिम तिथि को लगातार सात या अधिक वर्षों तक या तो भुगतान नहीं हुआ, या उन पर कोई दावा नहीं किया गया. कंपनी ने अब व्यक्तिगत रूप से उन सभी संबंधित शेयरधारकों से उचित कार्रवाई के लिये संपर्क किया है, जिनके शेयर वित्त वर्ष २०१८–१९ में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं.

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.ril.com पर अपलोड कर दी है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेब लिंक http://www.ril.com/InvestorRelations/ ShareholdersInformation.aspx देखें.

शेयरधारक ध्यान दे कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं.

संबंधित शेयरधारक, फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर–परक्राम्य मान लिए जाएंगे. शेयरधारक आगे ध्यान दे कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया विवरण इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना समझा जाना चाहिए.

संबंधित शेयरधारकों से ६ जुलाई, २०१८ तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने के परिस्थिती में, कम्पनी, नियमों में वर्णित आवश्यकताओं का पालन करने के दृष्टिकोण से, आईईपीएफ प्राधिकरण को नियत दिनांक को कार्पोरेट कार्रवाई द्वारा शेयर डीमटेरियलाइज़ और हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

विषय–वस्तु और नियमों के संबंध में किसी भी तरह की पूछताछ के लिये शेयरधारक श्री एस. पी. वेणुगोपाल, जनरल मैनेजर, **कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.**, कंपनी के रेजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स से कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१–३२, गछीबावली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२. **टेली:** + ९१–४०–६७१६ १७००; **फ़ैक्स:** + ९१–४०–६७१६१६८०; **टोल फ्री नं.:** १८००–४२५–८९९८. (सुबह ९:०० बजे से शाम ६:०० बजे) **ईमेल:** rilinvestor@karvy.com से संपर्क करें.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/–
के. सेथुरामन
ग्रुप कम्पनी सेक्रेटरी और
चीफ कंम्पलायंस ऑफीसर

स्थान : मुंबई
दिनांक : २७ मार्च, २०१८